

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
(आप.प्रक.क्रमांक :- 867 / 2014)
(संस्थित दिनांक :- 29 / 09 / 2014)

म.प्र. राज्य,
 द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद
 जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन ।

// विरुद्ध //

01. पंचम सिंह पुत्र हरनारायण सिंह गुर्जर उम्र 39 वर्ष
 निवासी :- ग्राम बनीपुरा, थाना-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

..... अभियुक्त ।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 23 / 05 / 2017 को घोषित)

01. अभियुक्त पंचम सिंह पर भा.द.सं. की धारा 294, 447 एवं 506 भाग II के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपी ने दिनांक :- 23 / 07 / 2014 की दोपहर लगभग 02:00 बजे कटवा मौजा में फरियादी कुँअर सिंह के खेत में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी कुँअर सिंह को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, उसने अपराध करने के आशय से फरियादी कुँअर सिंह के खेत में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार किया एवं फरियादी कुँअर सिंह को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है ।

03. अभियोजन कथा के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि दिनांक :- 23 / 07 / 2014 की दोपहर लगभग 02:00 बजे कटवा मौजा में फरियादी कुँअर सिंह के खेत में, आरोपी पंचम द्वारा प्रवेश करने, उससे गाली-गलौच करने एवं उसे जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी कुँअर सिंह द्वारा दिनांक : 25 / 07 / 2014 को दोपहर 04:30 बजे थाना गोहद पर की जाने पर, थाना गोहद में आरोपी पंचम सिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक 255 / 2014 अन्तर्गत धारा 294, 447 एवं 506 भाग II भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई । विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया । आरोपी पंचम सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया । फरियादी कुँअर सिंह, साक्षीगण बंसती देवी, सुरेन्द्र सिंह एवं जसरथ सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

04. अभियुक्त पंचम सिंह के विरुद्ध धारा 294, 447 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। प्रतिरक्षा साक्षी/आरोपी पंचम सिंह प्रति.सा.01 एवं साक्षी सतेन्द्र सिंह प्रति.सा.02 की प्रतिरक्षा साक्ष्य अंकित की गई है।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

01. क्या आरोपी पंचम सिंह ने दिनांक :- 23/07/2014 की दोपहर लगभग 02:00 बजे कटवा मौजा में फरियादी कुँअर सिंह के खेत में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी कुँअर सिंह को मों-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया?
02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर अपराध करने के आशय से फरियादी कुँअर सिंह के खेत में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार किया?
03. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी कुँअर सिंह को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?
04. अंतिम निष्कर्ष ?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय प्रश्न क्रमांक :- 01 लगायत 03

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी पंचम को जानता है। घटना दिनांक : 23/07/2014 की दोपहर दो बजे की उसके खेत की है। पंचम सिंह गुर्जर ने उसके खेत की मेढ़ तोड़ दी एवं जबरन उसके खेत में जोतकर फसल बो दी, जब उसने मना किया तो आरोपी ने उसे मों-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ दी और आरोपी बोला कि जबरदस्ती जोतूंगा, मार डालूंगा एवं जान से खत्म कर दूंगा। फिर मौके पर सुरेन्द्र सिंह एवं दशरथ सिंह आ गये, जिन्होंने घटना देखी थी। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना गोहद में की

थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसने पुलिस की रिपोर्ट के साथ अपने खेत की खसरा की प्रति प्रस्तुत की थी, जो प्र.पी.02 है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.01 का कहना है कि घटना के समय आरोपी अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहा था और वह अर्थात् फरियादी अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहा था। जबकि मुख्य परीक्षण में फरियादी कुँअर सिंह का कहना है कि आरोपी पंचम ने उसके खेत की मेढ़ तोड़कर उसके खेत में जबरन फसल बो दी। मुख्य परीक्षण एवं प्रति-परीक्षण में फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.01 द्वारा दर्शित उक्त दोनों तथ्य पूर्णतः विरोधाभाषपूर्ण हैं।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.01 का कहना है कि उसने घटना की रिपोर्ट घटना के ही दिन दिनांक : 23 को ही पुलिस थाने में की थी, जो कि उसने घटना के लगभग ढाई घण्टे बाद शाम 04:30 बजे की थी। तत्पश्चात् साक्षी का कहना है कि उसके पास घटना दिनांक को खेत के खसरे की नकल नहीं थी, इसलिए उसने दो दिन बाद खसरे की नकल निकालकर रिपोर्ट की थी। इस प्रकार फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.01 द्वारा घटना की रिपोर्ट कब की गई थी, इस वावत् उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण के अभिलेख में संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के अनुसार फरियादी कुँअर सिंह द्वारा दिनांक : 23/07/2014 की घटना की रिपोर्ट दिनांक : 25/07/2014 को दो दिन पश्चात् विलम्ब से की गई थी। विलम्ब का कारण फरियादी कुँअर सिंह द्वारा खसरे की नकल ना होना दर्शित किया गया है। यद्यपि खसरे की नकल ना होना, रिपोर्ट पुलिस द्वारा ना लिखे जाने का कोई आधार नहीं है और यदि फरियादी कुँअर सिंह को इस तथ्य का ज्ञान था कि खसरे के बिना उसकी रिपोर्ट संभवतः नहीं लिखी जायेगी, तो उसे निश्चय ही इस तथ्य का भी ज्ञान होना चाहिए कि विलम्ब से रिपोर्ट लिखा जाना प्रकरण की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है, क्योंकि उसने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसके पिता निहाल सिंह पुलिस में नौकरी करते हैं और मौ थाने में पदस्थ हैं। इस प्रकार घटनास्थल से चार किलोमीटर दूर स्थित थाना गोहद में दो दिन विलम्ब से घटना की रिपोर्ट किया जाना घटना की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

11. मुख्य परीक्षण में फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.01 का कहना है कि घटना के समय घटनास्थल पर साक्षी सुरेन्द्र सिंह एवं दशरथ सिंह आ गये थे, जिन्होंने घटना देखी है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.01 का कहना है कि उसने दशरथ का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में लिखाया था, यदि ना लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकता। इसी प्रकार प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.01 का कहना है कि उसने पुलिस कथन प्र.डी.01 में घटना के समय साक्षी दशरथ एवं सुरेन्द्र दोनों के उपस्थित होने का तथ्य पुलिस को

बता दिया था, यदि दशरथ के उपस्थित होने का तथ्य पुलिस कथन प्र.डी.01 में ना लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं फरियादी कुँअर सिंह के पुलिस कथन प्र.डी.01 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त दोनों ही दस्तावेजों में केवल साक्षी सुरेन्द्र सिंह के घटनास्थल पर उपस्थित होने का उल्लेख है, ना कि साक्षी दशरथ सिंह के भी उपस्थित होने का। इस प्रकार घटना के समय घटनास्थल पर साक्षी दशरथ सिंह के उपस्थित होने के संबंध में फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों, उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों एवं उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

12. साक्षी सुरेन्द्र सिंह अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी पंचम को जानता है। घटना दिनांक : 23/07/2014 की दोपहर दो-तीन बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी पंचम सिंह गुर्जर ने कुँअर सिंह के खेत की मेढ़ तोड़ दी एवं खेत जोत दिया। तब कुँअर सिंह ने रोका तो पंचम सिंह ने गाली-गलौच किया एवं जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में सुरेन्द्र सिंह अ.सा.02 का कहना है कि जब आरोपी ने उसके खेत को जोतने के पश्चात् फरियादी के खेत की मेढ़ तोड़कर फरियादी कुँअर सिंह के खेत को जोतना शुरू किया, तब आरोपी पंचम को फरियादी कुँअर सिंह द्वारा ऐसा करने से रोका गया। जबकि फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.01 का कहना है कि आरोपी पंचम ने उसके खेत की मेढ़ तोड़कर खेत जोतकर उसमें फसल बो दी। इस प्रकार आरोपी पंचम द्वारा फरियादी कुँअर सिंह के खेत में फसल बो दी गई, अथवा नहीं, इस वावत् साक्षी सुरेन्द्र अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य मौन है। इस प्रकार उक्त तथ्य के संबंध में साक्षी सुरेन्द्र सिंह अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसा लोप है, जो फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों से विरोधाभास पूर्ण है और यह तथ्य अभियोजन कथा को संदेहास्पद बनाता है।

13. साक्षी दशरथ सिंह अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी पंचम को जानता है। घटना दिनांक : 23/07/2014 की दोपहर दो बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी पंचम सिंह गुर्जर ने कुँअर सिंह के खेत की मेढ़ ट्रेक्टर से तोड़ दी एवं खेत जोत दिया, तब कुँअर सिंह ने रोका तो पंचम सिंह ने माँ-बहन की गालियाँ दी एवं जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में दशरथ सिंह अ.सा.03 का कहना है कि घटना के समय आरोपी एवं फरियादी दोनों अपने-अपने खेत जोत रहे थे, जबकि फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि आरोपी पंचम द्वारा घटना के समय उसके खेत की मेढ़ तोड़कर उसे जोतकर उसमें फसल बो दी थी। यह संभव नहीं है कि फरियादी कुँअर सिंह के उपस्थित रहते हुए आरोपी पंचम या कोई अन्य व्यक्ति फरियादी के खेत की मेढ़ तोड़ने, खेत जोतने एवं उसमें फसल बो देने का कार्य कर दे। इस प्रकार घटना के समय

आरोपी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से क्या कृत्य किया गया, इस वावत् फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.01 एवं साक्षी दशरथ अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है।

14. साक्षी बसंती अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी पंचम को जानती है, वह उसके गांव बनीपुरा का ही निवासी है एवं उसके जेठ का लड़का है। फरियादी कुँअर सिंह उसका लड़का है। साक्षी आगे कहता है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 04/11/2016 से लगभग 02 साल पहले की होकर सुबह 09 बजे के बाद की है। साक्षी आगे कहती है कि उसके लड़के ने 11-12 बजे दोपहर में आकर उसे यह बताया था कि पंचम ने उसे लाठी मारी और बताया था कि पंचम से उसकी लड़ाई खेत पर हुई थी, इसके अलावा कुँअर सिंह ने उसे कुछ नहीं बताया था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

15. इस साक्षी बसंती अ.सा.05 द्वारा घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 04/11/2016 से लगभग 02 साल पहले की सुबह 09 बजे के बाद की होना दर्शित किया गया है, जिसमें उसके लड़के कुँअर सिंह अ.सा.01 की पंचम द्वारा लाठी से मारपीट किये जाने का तथ्य बताया है। जबकि फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.01 ने घटना दोपहर 02:00 बजे की होना बताया है और घटना में उसके साथ किसी प्रकार की मारपीट होना दर्शित नहीं किया है। इस प्रकार बसंती अ.सा.05 एवं कुँअर सिंह अ.सा.01 के मध्य आरोपित घटना के तथ्यों के संबंध में गंभीर विरोधाभाष है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी बसंती अ.सा.05 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसे उसके लड़के कुँअर सिंह अ.सा.01 ने दिनांक : 23/07/2014 को घर आकर बताया था कि आरोपी पंचम ने सर्वे क्रमांक 1317 के खेत की मेढ़ को तोड़कर अपने खेत में मिला ली है तथा फसल बो दी है और साक्षी को इस वावत् उसका पुलिस कथन प्र.पी.04 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर भी उसने पुलिस को ऐसा कथन ना देना व्यक्त किया है। इस प्रकार साक्षी बसंती अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों एवं उसके कथन अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. प्र.पी.04 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है।

16. अभियोजन साक्षी मूलचरण अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 27/07/2014 को पुलिस थाना गोहद में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना गोहद के अपराध क्रमांक 255/14 अन्तर्गत धारा 447, 294 एवं 506 भाग II भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी कुँअर सिंह के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी कुँअर सिंह, साक्षीगण सुरेन्द्र सिंह, जसरथ सिंह एवं बसंती देवी के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिनमें अपनी ओर से कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 28/07/2015 को आरोपी पंचम सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.05 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

साक्षी आगे कहता है कि फरियादी द्वारा प्रस्तुत करने पर उसने विवादित खेत की खसरे की नकल जब्त की थी, खसरे की कॉपी प्र.पी.02 है। तत्पश्चात् विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

17. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में मूलचरण अ.सा.06 का कहना है कि उसने फरियादी कुँअर सिंह के कथन घटनास्थल पर ही लेखबद्ध किये थे और साक्षी सुरेन्द्र एवं दशरथ के कथन गांव में लेखबद्ध किये थे। जबकि फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.01 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में कहना है कि पुलिस ने उसके सामने सुरेन्द्र एवं दशरथ सिंह के कथन लेखबद्ध किये थे। इस प्रकार विवेचक मूलचरण अ.सा.06 ने फरियादी कुँअर सिंह के समक्ष साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये थे, अथवा नहीं, इस वावत् उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभाष है। फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.01 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 में घटना के समय साक्षी दशरथ के भी उपस्थित होना का तथ्य कथन लेखबद्ध करने वाले पुलिसकर्मी को बता देना व्यक्त किया है, जो कि उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 में उल्लेखित नहीं है, लेकिन विवेचक मूलचरण अ.सा.06 ने फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.01 के बताये अनुसार उसके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये जाने का उल्लेख किया है। इस प्रकार फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.01 का पुलिस कथन प्र.डी.01 उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया था, अथवा नहीं, इस वावत् फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.01 एवं मूलचरण अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है।

18. फरियादी कुँअर सिंह ने घटना के समय साक्षी दशरथ सिंह के उपस्थित होने का तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में लेखबद्ध कराये जाने का तथ्य दर्शित किया है, जबकि उक्त तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में उल्लेखित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक बलवंत सिंह अ.सा.04 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी कुँअर सिंह के बताये अनुसार लेखबद्ध किये जाने का तथ्य दर्शित किया है। इस प्रकार उक्त तथ्य के संबंध में फरियादी कुँअर सिंह अ.सा.01 एवं बलवंत सिंह अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभाष है।

19. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी पंचम सिंह ने दिनांक :- 23/07/2014 की दोपहर लगभग 02:00 बजे कटवा मौजा फरियादी कुँअर सिंह के खेत में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी कुँअर सिंह को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, उसने अपराध करने के आशय से फरियादी कुँअर सिंह के खेत में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार किया एवं फरियादी कुँअर सिंह को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

अंतिम निष्कर्ष

20. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी पंचम सिंह के विरुद्ध धारा 447, 294 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी पंचम सिंह को धारा 447, 294 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

21. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद